वाद संख्या–44 / 2023
रेणु देवी बनाम् साबिया परवीण।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–07.11.2023, दिनांक–19.12.2023, दिनांक–30.01.2024, दिनांक–08.05.2024, दिनांक–18.06.2024 तथा दिनांक–10.09.2024 को हुई। वादी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाष रंजन तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री गौरव कुमार द्वारा पक्ष रखा गया। जिला प्रशासन की तरफ से श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी तथा श्री संतोष कुमार, आपदा प्रबंधन, मधुबनी द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

वाद दायर करने के उपरांत अंतिम सुनवाई तक वादी द्वारा कोई भी साक्ष्य अपने दावें के समर्थन में "रेकर्ड" पर नहीं लाया गया।

जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराये गये, अंतिम जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–I / 156318 / जि0 निर्वा0, दिनांक–04.09.2024 के द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा जाँचोपरांत निष्कर्ष अंकित किया गया है कि:–

"उभय पक्षों को सुनने एवं विद्यालय में संधारित दस्तावेजों की जाँच से स्पष्ट है कि परिवाद में वर्णित राशन कार्ड से संबंधित परिवार के मुखिया अब्दुल मन्नान है, जिनकी पत्नी का नाम उम्मत खातून है। मो0 रहमतुल्लाह अब्दुल रहमानी, मो0 मिनतुल्लाह, हेदयतुल्लाह, साबिया खातून, रबिया खातून एवं नजिनी खातून अब्दुल मन्नान के पुत्र–पुत्रियाँ है।

स्पष्ट है कि साबिया प्रवीण की एक ननद का नाम साबिया खातून है। साबिया खातून को ही साबिया प्रवीण समझ कर परिवाद लाया गया है, जबकि राशन कार्ड में जो नाम अंकित है, यह साबिया खातून, पुत्री अब्दुल मन्नान है, अर्थात् राशन कार्ड में साबिया प्रवीण का नाम नही है।

उपरोक्त तथ्यों तथा जाँच के क्रम में परिवादी द्वारा कोई अन्य साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराने के आलोक में अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधुबनी द्वारा परिवाद में लगाये गये आरोप को सत्य प्रतीत नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।"

चूँकि वादी द्वारा अबतक कोई Unimpeachable साक्ष्य अथवा अन्य सहायक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा जिला प्रशासन द्वारा भी प्रथम दृष्ट्या परिवाद को तथ्यहीन एवं निराधार पाया गया है, अतएव वाद को जारी रखना न्यायोचित नहीं है।

उक्त वर्णित स्थिति में रजनी कुमार वाद (L.P.A. No. 566/2017) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा पारित न्याय–निर्णय के आलोक में वादी के अनुरोध/दावें को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–	ह0/
(डॉ० दीपक प्रसाद)	(डॉ० दीपक प्रसाद)
01.10.2024	01.10.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।	राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–44/2023 3696 पटना, दिनांक–01/X/2024

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **मधुबनी**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **मधुबनी** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **मधुबनी** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

01/X/24

विशेष कार्य पदाधिकारी